कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशांक–वा0क0अधि0/युगल पीठ/ 1242 /2022.लखनऊःदि0::अगस्त, 18 ,2022

–::संशोधित आदेश ::–

मुख्यालय के आदेशांक–1233/22 दिनांक 18.08.2022 द्वारा दिनांक 17.10.2022 से दिनांक 21.10.2022 तक नोएडा में लम्बित युगल पीठ के वादों के निस्तारण हेतु पीठ–1 नोएडा एवं पीठ–2 नोएडा की युगल पीठ गठित की गयी थी ।

मुख्यालय के आदेशांक–1207/22 दिनांक 17.08.2022 द्वारा दिनांक 17.10.2022 से 21.10.2022 तक सदस्य पीठ–1 गाजियाबाद एवं सदस्य पीठ–2 गाजियाबाद की युगल पीठ गठित की गयी थी तथा दिनांक 10.10.2022 से 14.10.2022 तक अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उ0प्र0 लखनऊ व सदस्य पीठ–5 वाराणसी की युगल पीठ गठित की जा चुकी है।

फेडरेशन ऑफ आल टैक्स बार एसोसिएशन्स गाजियाबाद के पत्र दिनांक 06.07.2022 द्वारा अनुरोध किया गया है कि नोएडा एवं गाजियाबाद में युगल पीठों की तिथियां पृथक पृथक रखी जाएं, क्योंकि अधिकांश अधिवक्ता जो गाजियाबाद उपस्थित होते हैं वे ही नोएडा भी उपस्थित होते हैं।

अतैव फेडरेशन ऑफ आल टैक्स बार एसोसिएशन्स गाजियाबाद के पत्र दिनांक 06.07.2022 के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए, चूंकि पूर्व में गाजियाबाद एव नोएडा में युगल पीठ पहले ही गठित की जा चुकी है, इसलिए मुख्यालय के आदेशांक–1233/22 दिनांक 18.08.2022 द्वारा दिनांक 17.10.2022 से दिनांक 21.10.2022 तक नोएडा में गठित युगल पीठ सदस्य पीठ–1 नोएडा एवं सदस्य पीठ–2 नोएडा निरस्त की जाती है।

ह0/18.08.2022
(अरविन्द मलिक)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन::वा0क0अधि0/ युगल पीठ/ 1242 /2022, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण पीठ–1/2 नोएडा।
2. मुंसरिम/वैयक्तिक सहायक/पेशकार/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता)/विवरण/कम्प्यूटर, मुख्यालय।
3. सम्बंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

(तरुण कुमार)
निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।